B.Ed 1st Year
Session – 2019-2020/2021
Subject – **Contemporary India & Education**
Course – C-2/Unit – 2(d)
Topic – **संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति -1986(1992)**
Modified National Policy of Education-1986(1992)

Dr. Amod Kumar Sinha
Associate Professor
Department of Education
A.N.D. College
Shahpur Patory
Samastipur

Lecture No. - 96

Continued from previous class...

संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति -1986(1992) की विशेषताएं

4. **विषय सामग्री तथा शिक्षा का नवीनीकरण** -

   A) **जनसंख्या शिक्षा** - शिक्षा नीति में जनसंख्या शिक्षा को राष्ट्रीय रणनीति के महत्वपूर्ण अंग के रूप में प्रस्तुत किया गया। नीति में इस बात की व्यवस्था की गई कि प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर बच्चों को बढ़ती जनसंख्या एवं इससे होने वाले नुकसान के प्रति सतर्क किया जाए। शैक्षिक कार्यक्रमों को क्रियाशील बनाकर नवयुवकों एवं वयस्कों को परिवार नियोजन के विषय में जानकारी प्रदान की जाए और साथ ही उन्हें इसके लिए उत्साहित भी किया जाए।

   B) **राष्ट्रीय परीक्षा सुधार संरचना** - नीति में इस बात की व्यवस्था की गई कि राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षा सुधार संरचना तैयार करके उसे परीक्षक संस्थाओं को दिया जाए जिससे वह दिशानिर्देश प्राप्त कर सके। यह परीक्षा संरचना अनुसंधानों के साथ-साथ विशेष स्थिति में उपयुक्त होनी चाहिए।

5. **शिक्षक और शिक्षक समाज** -

   A) **शिक्षक समाज का दर्पण** - शिक्षक किसी भी समाज का दर्पण होता है। शिक्षकों की स्थिति सामाजिक तथा सांस्कृतिक पक्ष की झलक प्रस्तुत

करती है। कहा गया है कि सरकार या समाज को ऐसी स्थिति पैदा करनी चाहिए जिससे शिक्षक को सृजनात्मक कार्यों के लिए प्रेरित किया जा सके। शिक्षक को अपने ढंग से पढ़ाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए क्योंकि उसे अपने कर्त्तव्यों तथा शिक्षा के उद्देश्यों की स्पष्ट जानकारी होती है।

B) **भर्ती तथा सेवा शर्त्तें** - भर्ती के मानदंडों की पुनः संगठित किया जाए। उनकी भर्ती करने वाले मेरिट, योग्यता, वस्तुनिष्ठता एवं क्रियात्मकता को ध्यान में रखें। उनका वेतन और सेवा शर्त्तें निर्धारित करते समय ध्यान दिया जाए कि उनके सामाजिक एवं व्यावसायिक उत्तरदायित्व क्या हैं। उनकी न्युक्ति एवं स्थानांतरण की शर्त्तें लचकदार हों। उच्च शिक्षा के आधार पर उनकी पदोन्नति की विशेष व्यवस्था की जाए।

C) **शिक्षक संघ** - शिक्षक-संघों को व्यावसायिक एकता स्थापित करने, शिक्षकों की प्रतिष्ठा बढ़ाने तथा व्यावसायिक दुराचरण को रोकने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षक संघ का निर्माण किया जा सकता है।

6. **शिक्षा का प्रबंध** - नीति में शिक्षकों का साथ-साथ संबंधित विषयों के समाधान के लिए एक शैक्षिक ट्रायबुनल (Tribunal) की स्थापना के संबंध में कहा गया है। यह ट्रायबुनल राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर स्थापित किया जाना था।

समाप्त